<u>2013 का विधेयक संख्या 14</u>

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं.1 की धारा 8 का संशोधन.- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं.1), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**8. निरीक्षण.-** (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय, संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है, या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये ऐसे निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।"।

3. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं.1 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**11. कुलपति.-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी

चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;

(ख) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी।

(3) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो, तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी।

(7) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये ।

(8) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/थी, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(9) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो/रही हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(10) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(11) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

4. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं.1 की धारा 36 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 36 के विद्यमान उपबंध को उसकी उप-धारा (2) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार

पुन:संख्यांकित उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के बीच अच्छा सांमजस्य रहा है किन्तु यदाकदा कुछ ऐसे दृष्टांत रहे हैं जब राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों को, जबकि वे प्रशासनिक या वित्तीय मामलों तक सीमित हों, तब भी अनदेखा कर दिया जाता है।

साथ ही, ऐसा कोई भी सामर्थ्यकारी उपबंध नहीं है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय अनुशासन या प्रशासनिक नीतियों का अनुसरण कराया जा सके। यह भी कि कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति और सेवानिवृत्ति की आयु में अन्तर है।

अत:, विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता बनाये रखने और बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक वातावरण बनाने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की कुछ धाराओं को संशोधित करने का और उसमें कुछ नये उपबंध जोड़ने का विनिश्चय किया गया है, अर्थात्, कुलाधिपति की निरीक्षण की शक्तियां, कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु, और राज्य सरकार की वित्तीय नियंत्रण की धारणा।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

एमादुद्दीन अहमद खान (दुरु मियां),
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, प्रस्तावित धारा 11(3) के अधीन कुलपति की अन्य परिलब्धियां विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

एमादुद्दीन अहमद खान (दुरु मियां),
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005
(2005 का अधिनियम सं.1) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

8. निरीक्षण और जांच.- (1) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जो वह निदेशित करे, विश्वविद्यालय के भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कर्मशालाओं और उपस्कर को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या किये जाने वाले अध्यापन और अन्य सभी संकर्मों का भी निरीक्षण करवाने या विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त संबंधी किसी भी मामले के संबंध में ऐसी रीति से जांच करवाने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करवाने का विनिश्चय करती है वहां वह इस बारे में कुल-सचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय के को सूचित करेगी, और कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां होंगी जो शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती है और उसे या उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष की कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश से कुलपति को संबोधित करेगी और कुलपति ऐसी सलाह सहित, जो राज्य सरकार उस पर कार्रवाई किये जाने के लिए प्रस्तावित करे, राज्य सरकार के विचारों से बोर्ड को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति तत्पश्चात् ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाये, बोर्ड द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करते हैं तो राज्य सरकार ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण पर, जो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी दें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होंगे।

(7) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन करवाये गये किसी निरीक्षण या जांच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उप-धारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उप-धारा (6) के अधीन जारी किये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेशों के अनुपालन या अननुपालन के संबंध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की भी एक-एक प्रति कुलाधिपति को भेजेगी।

XX XX XX XX XX XX

11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार की सलाह से नियुक्त किया जायेगा:-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी भी घटक या सम्बद्ध महाविश्वविद्यालय से संबंधित कोई व्यक्ति न हो;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन शासन सचिव।

(2) कुलपति ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या तब तक जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि कुलपति ऐसी तारीख से, जिसको वह कार्यमुक्त होने की इच्छा रखता है, अपने हस्ताक्षर सहित और कुलाधिपति को संबोधित लेख द्वारा साठ दिन से अन्यून का अग्रिम नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा और वह ऐसे त्यागपत्र की कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति पर कुलाधिपति द्वारा अवधारित और कुलपति को सूचित तारीख से पद धारण करना बंद कर देगा।

(3) कुलपति ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की उसकी मुत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण कोई स्थायी रिक्ति हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार अस्थायी व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा कोई अस्थायी रिक्ति हो जाये, या जब कोई अस्थाई व्यवस्था उप-धारा (4) के अधीन आवश्यक हो जाये तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरन्त कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) उप-धारा (1) से उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की सलाह से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(7) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप करता है या करने से इनकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर

बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेगा।

(8) उप-धारा (7) में निर्दिष्ट किसी जांच के लंबित रहने तक या उसे आसन्न मानकर कुलाधिपति आदेश कर सकेगा कि अगले आदेशों तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा किन्तु वह ऐसी परिलब्धियां प्राप्त करता रहेगा जिनका वह उप-धारा (3) के अधीन अन्यथा हकदार होता;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

XX XX XX XX XX XX

36. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रंबध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 14 of 2013

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 1 of 2005.- For the existing section 8 of the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 (Act No. 1 of 2005), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**8. Visitation**.- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as he or she may direct-

(a) of the University, its building, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or

(b) of any college, institute, institution or hostel maintained by the University; or

(c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or

(d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or she may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his or her views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor, the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his or her discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.".

3. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 1 of 2005.- For the existing section 11 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**11. Vice-Chancellor**.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -

(a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;

(b) Director General, Indian Council of Medical Research or his nominee;

(c) one person nominated by the Chancellor; and

(d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be five years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (5).

(5)When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(9) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.".

4. Amendment of section 36, Rajasthan Act No. 1 of 2005.- The existing provision of section 36 of the principal Act, shall be renumbered as sub-section (2) thereof and before sub-section (2) as so renumbered the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been good harmony between the Universities and the State Government but sometimes there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter.

Also, there is no enabling provision through which Universities can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement age of Vice-Chancellors.

Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities' Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere it has been decided to amend some sections and to add new provisions i.e. visitation powers of Chancellor, retirement age of Vice-Chancellor and assumption of financial control by the State Government in the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

एमादुद्दीन अहमद खान (दुरु मियां),
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill, if enacted, shall empower to prescribe other perquisites of Vice-Chancellor under the proposed section 11(3).

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

एमादुद्दीन अहमद खान (दुरु मियां),
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ACT, 2005
(Act No. 1 of 2005)

XX XX XX XX XX

8. Inspections and Inquiry.- (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipments and also of the examinations, teaching and all other works conducted or done by the University or, to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Vice-chancellor may be present at such inspection or inquiry or representative of the University and he shall have the right to heard as such.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and for enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the proceedings before him or them shall deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Vice-chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry and the Vice-chancellor shall communicate to the Board, the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-chancellor shall then, within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Board.

(6) If the University authorities do not take action, within a reasonable time, to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation, which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-chancellor under sub-section (5), and of every direction issued under sub-section (6), and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such directions.

XX XX XX XX XX

11. The Vice-chancellor.- (1) The Vice-chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor, on the advice of the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of-

(a) one person nominated by the Board not being a person connected with the University or any constituent or affiliated college;

(b) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convener of the Committee;

(c) three Secretaries to the Government nominated by the State Government.

(2) The Vice-chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon this office or until he attains the age of sixty two years whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term:

Provided further that the Vice-chancellor may, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, by writing under his hand and addressed to the Chancellor, resign his office, and he shall, upon the acceptance by the Chancellor of such resignation, cease to hold his office with effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-chancellor.

(3) The Vice-chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1) and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the functions of the office of the Vice-chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) to sub-section (5), the first Vice-chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the State Government may determine.

(7) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-chancellor in office is

detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order remove the Vice-chancellor.

(8) During the pendency, or in contemplation of any inquiry referred to in sub-section (7), the Chancellor may order that till further orders-

(a) such Vice-chancellor shall remain refrain from performing the functions of the office of the Vice-chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (3);

(b) the functions of the office of the Vice-chancellor shall be performed by the person specified in the order.

XX XX XX XX XX

36. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- If the State Government is satisfied that, owing to mal-administration or financial mismanagement in the University, a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by notification, declare that the finance of the University shall be subject to the control of the State Government and issue such other directions, as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

XX XX XX XX XX

2013 का विधेयक सं. 14

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(एमादुद्दीन अहमद खान (दुरु मियां), **प्रभारी मंत्री)**

<u>Bill No. 14 of 2013</u>

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Aimaduddin Ahmad Khan (Durru Miyan), Minister-Incharge)